राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 16/09/2019 को संपन्न 292वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 292वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 16/09/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **दिनांक 20/08/2019, 21/08/2019 एवं 22/08/2019 को संपन्न क्रमशः 289वीं, 290वीं एवं 291वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/08/2019, 21/08/2019 एवं 22/08/2019 को संपन्न क्रमशः 289वीं, 290वीं एवं 291वीं बैठक हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: दिनांक 03/09/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री सुनील कुमार अग्रवाल (लवाकेरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 868)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35985/2019, दिनांक 14/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 एवं 03/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/07/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार व जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर शासकीय भूमि में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 52,115.7 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लवाकेरा का दिनांक 05/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 104/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 12/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थल नहीं है।
5. उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रभारी अधिकारी कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1561/खनि.शा./2018 जशपुर, दिनांक 03/12/2018 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./2018/9998 जशपुर, दिनांक 05/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–लवाकेरा 1.8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल लवाकेरा 1.8 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.6 कि.मी. एवं ईब नदी 3.6 कि.मी., सिरमुण्डा एवं खुराई आरक्षित वन 1 कि.मी. दूर स्थित है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,56,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 96,688 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.304 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,483 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 760 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,959	1.5	52,115.7
	6,404	1.5	
द्वितीय	5,867	1.5	43,738.5
	5,348	1.5	

4. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट), ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 470)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 16502/2016, दिनांक 25/06/2016 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 16502/2016, दिनांक 29/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता वृद्धि के सबंध में आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल परियोजना है। ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल – 134.192 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कोल माईन क्षमता – 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) है।
2. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1067, दिनांक 25/11/2016 द्वारा कोल माईन क्षमता – 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी की गई।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई का कार्य नहीं होने के कारण जारी टी.ओ.आर. की वैधता अवधि में एक वर्ष की वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. क्रमांक J-11013/41/2006-IA-II (I) (Part) दिनांक 29/08/2017 के अनुसार राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1067, दिनांक 25/11/2016 द्वारा कोल माईन क्षमता – 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु जारी टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) की वैधता अवधि में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40712/2019, दिनांक 06/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल क्षेत्रफल – 1.235 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 662/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 981/खनिज/ख.लि.3/ई–टेण्डर/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.304 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक /377/खनिज/ख.लि.4/ई–टेण्डर/2018–19 अम्बिकापुर, दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–चंगोरी 0.6 कि.मी. एवं राजपुर 10 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–चंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.3 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.44 कि.मी., मौसमी नाला 0.63 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर स्थित है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,32,937 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,07,326 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.41 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,111 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 5.29 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 4.5 मीटर खुले क्षेत्र में 581 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 360 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	18,675
द्वितीय	18,000
तृतीय	18,354.38
चतुर्थ	18,765
पंचम	18,360
छटवे	17,887.5
सातवे	18,731.25
आठवे	19,264.5
नौवे	19,629
दसवे	18,927

4. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत ससकोबा, ग्राम–ससकोबा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 757)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 89786/2019, दिनांक 27/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/01/2019 एवं 21/06/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/05/2019 एवं 09/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ससकोबा, ग्राम पंचायत ससकोबा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 893, कुल लीज क्षेत्र 2.54 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ससकोबा का दिनांक 08/12/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 2003/ख.लि.–3/2018, रायगढ़ दिनांक 12/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. निकटतम आबादी ग्राम–ससकोबा 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 150 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है।
8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,01,600 घनमीटर हैं।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स जिन कुशल कंसट्रक्शन कंपनी (कलडबरी लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर– श्री पियूष बैद), ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 857)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35766/2019, दिनांक 22/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/08/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 194/2, 195/1, 195/2(पार्ट), 195/3(पार्ट), 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200, 202/1, 215/1, 215/2 एवं 228/1, कुल क्षेत्रफल – 3.536 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलडबरी का दिनांक 09/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांगविथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/ 2019/2530, दिनांक 13/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनि.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2061/टेंडर नंबर–17210/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 28/01/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./10–1/10457 राजनांदगांव, दिनांक 03/11/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–कलडबरी 0.5 कि.मी. एवं राजनांदगांव शहर 14 कि.मी., अस्पताल राजनांदगांव 14 कि.मी., निकटतम रेलवे स्टेशन मुरहीपार 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी. दूर स्थित है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,85,120 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,34,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकतटम ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	4,167	3	12,500	25,000
द्वितीय	4,167	3	12,500	25,000
तृतीय	4,167	3	12,500	25,000
चतुर्थ	4,167	3	12,500	25,000
पंचम	4,167	3	12,500	25,000

4. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मंदिर हसौद लाईन स्टोन क्वारी, (प्रो.– श्री इन्द्र कुमार टाकनदास) ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 874)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36425/2019, दिनांक 20/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/06/2019 एवं 12/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 एवं 29/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, कुल क्षेत्रफल – 1.072 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,900 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिर हसौद का दिनांक 31/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 411/ख.लि./तीन–6/उ.प/2019, दिनांक 15/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–1/2019/1095 रायपुर, दिनांक 06/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 4.048 हेक्टेयर (मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स को दिनांक 21/01/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष के लिए सैद्धांतिक निर्णय पत्र जारी किया गया) है।
4. लीज डीड श्री इन्द्र कुमार के नाम पर है, जिसकी अवधि 15 वर्ष (दिनांक 17/08/2012 से 16/08/2027 तक) की अवधि हेतु है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./1997 रायपुर, दिनांक 22/06/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1 कि.मी. एवं रायपुर शहर 13 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल मंदिर हसौद 1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,76,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,29,571 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.185 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	45,900
द्वितीय	45,900
तृतीय	45,900
चतुर्थ	45,900
पंचम	45,900

4. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स रायपुर स्टील कास्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 901)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 37703/2019, दिनांक 13/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 106/49, 106/32, 744/58, 106/11, 106/10, 106/9, 106/15, 106/13, 106/22, 106/23, 106/30, 744/57, 106/31, 106/3, 106/35, 106/50, 106/51, 744/52, 106/26, 743/1, 729/2, 729, 730/1 एवं 106/38, कुल क्षेत्रफल – 13.26 हेक्टेयर (32.77 एकड़) में टनल किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–57,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन), इण्डक्शन फर्नेस (माईल्ड स्टील इंगाट एण्ड बिलेट्स) क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 15 टन), सेगर इकाई क्षमता–300 टन प्रतिमाह, स्लेग क्रशिंग इकाई 25 टन प्रतिघंटा एवं गैसीफायर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–7,000 घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 46 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक पार्क (सन एण्ड सन इन्फामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 949)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 116563/ 2019, दिनांक 02/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल – 9.531 हेक्टेयर (95,310 वर्गमीटर) में बिल्डिंग

एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 95,310 वर्गमीटर (9.531 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या, क्षेत्रफल का विवरण एवं वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरण की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स एपिक एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा/तुमिडीह, तहसील–घरघोडा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 840)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 34947/ 2019, दिनांक 18/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–डी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा/तुमिडीह, तहसील–घरघोडा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लॉट क्रमांक 132, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में एम.एस. इंगाट (इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 31,500 टन प्रतिवर्ष (5 टन गुणा 2 नग) से एम.एस. इंगाट/बिलेट (इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम.) क्षमता –

57,321 टन प्रतिवर्ष (5 टन गुणा 4 नग) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 9 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 5.05 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामावतार अग्रवाल, निदेशक उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त आवेदन पर समिति की दिनांक 14/06/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया जाना प्रस्तावित है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 14/06/2019 को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते। अतः दिनांक 12/06/2019 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी के अवलोकन व परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 31,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 31/03/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2019 तक है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–तुमिडीह 0.5 कि.मी. एवं शहर रायगढ़ 20 कि.मी., निकटतम रेलवे स्टेशन रायगढ़ 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। देवनमुण्डा नाला 2 कि.मी., कोसम नाला 2.5 कि.मी., कारापाली 3 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर है, जिसमें से बिल्टअप का क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर, रोड एवं पेव्ड का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल

0.08 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

4. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 29,400 टन प्रतिवर्ष, पिग ऑयरन एवं स्क्रैप्स – 6,333 टन प्रतिवर्ष, फेरो एलॉयज एण्ड एल्युमिनियम – 317 टन प्रतिवर्ष तथा रमिंग मास एवं रिफेक्ट्री लाईनिंग – 46 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 55,256 टन प्रतिवर्ष, पिग ऑयरन एवं स्क्रैप्स – 12,185 टन प्रतिवर्ष, फेरो एलॉयज एण्ड एल्युमिनियम – 622 टन प्रतिवर्ष तथा रमिंग मास एवं रिफेक्ट्री लाईनिंग – 89 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Configuration	Proposed	After Proposed Configuration
MS Ingot / Billets	5 MT X 2 Nos. (31,500 TPA) No CCM	5 MT X 2 Nos. (25,821 TPA) New CCM	5 MT X 4 Nos. (57,321 TPA)

वर्तमान में 5 MT X 2 Nos. इण्डक्शन फर्नेस से 31,500 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है। 5 MT X 2 Nos. इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना का कार्य शेष है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उक्त इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना किया जाना बताया गया है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से रनर, राईजर एवं सेंटर कॉलम – 1,575 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 3,680 टन प्रतिवर्ष एवं रिफेक्ट्री वेस्ट – 23 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस से डिफेक्टीव बिलेट्स, मिस कास्ट एवं एण्ड कटिंग – 1,188 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 891 टन प्रतिवर्ष स्लेग – 6,910 टन प्रतिवर्ष एवं रिफेक्ट्री वेस्ट – 45 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिफेक्टीव बिलेट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाएगा। स्लेग को निकटतम मेटल रिकव्हरी यूनिट / जिंदल स्लेग डम्पिंग यार्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। रिफेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत रिसाईक्लर/लेण्ड फिल को उपलब्ध कराया जाएगा।

मिल स्केल को फेरो एलॉयज/पैलेटाईजेशन प्लांट्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। स्थापित परियोजना के लिए भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 22/02/2019 द्वारा 9 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 14,866 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज वेल (व्यास 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर) एवं 1 नग रिचार्ज पिट (लम्बाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं ऊंचाई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.41 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.24 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 5,278 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 9,034 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति जिंदल स्टील पॉवर लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट का उपयोग किया जाता है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.7 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में 600 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 400 नग पौधे रोपित किए गए है। शेष वृक्षारोपण का कार्य मानसून 2019 के पूर्व किया जाना बताया गया।

12. उद्योग परिसर के आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण दिनांक 31/07/2019 तक किए जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)

Rs. 505	1%	Rs. 5.0	Rain Water Harvesting Structure, Solar Lighting System, Running Water facility for Toilets, Potable Drinking Water, Plantation work, Environment Awareness Display boards at Government Primary School Dhobidih	Rs. 5.0
			Total	**Rs. 5.00**

समिति उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर निम्न निर्णय लिया गया:

i. उद्योग के स्थापित कार्यकलाप में विगत एक वर्ष में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई उल्लंघन बाबत् जानकारी एवं उसके निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् जानकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/08/2019 के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/04/2019 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत मेसर्स एपिक एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड, 132डी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई वाद या प्रकरण दायर नहीं होने बाबत् सूचित किया गया है।

(स) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उद्योग ओ.पी. जिंदल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कार्यरत इकाई है।

2. **औद्योगिक क्षेत्र संबंधी तथ्य–**

I. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम/छत्तीसगढ़ शासन व जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के मध्य दिनांक 23/10/2002 को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

II. राज्य शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण – छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 14/11/2003 में प्रकाशित लेख में भू–अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एफ सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिला–रायगढ़, तहसील–घरघोड़ा, नगर/ग्राम–तुमीडीह एवं पुंजीपथरा औद्योगिक परिक्षेत्र हेतु भूमि अर्जन की घोषणा की गई है।

III. सीएसआईडीसी के पत्र क्रमांक CSIDE/I.P./1523 दिनांक 29/05/2004 द्वारा मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को ग्राम– पुंजीपथरा एवं तुमीडीह की 218.253 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु आबंटन के संबंध में आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया।

IV. आशय पत्र की शर्तों के अनुरूप सीएसआईडीसी द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति के तहत् मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ के साथ 218.253 हेक्टेयर उपरोक्त भूमि, औद्योगिक प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु देने बाबत् लीज डीड संपादित की गई। लीज डीड की अवधि दिनांक 05/06/2004 से दिनांक 04/06/2103 तक (99 वर्षों हेतु) है।

V. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–36/2014/11/(6), दिनांक 28/01/2015 के तहत् औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:–

"औद्योगिक क्षेत्र से आशय है तथा इसमें सम्मिलित है–नियत दिनांक से पूर्व एवं पश्चात् के राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन/भारत सरकार से अनुमोदित/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र, नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र तथा अंशतः औद्योगिक क्षेत्र (ऐसे उद्योग जिन्होने औद्योगिक क्षेत्रों में अंशतः भूमि आबंटन प्राप्त कर एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्रों से संलग्न भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित किया जा रहा हो/उद्योग स्थापित किया हो)।"

VI. उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 28/02/2019 के अनुसार "औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक क्षेत्र भी परिभाषित है। औद्योगिक क्षेत्र की परिभाषा में राज्य शासन/ भारत सरकार से अनुमोदित /सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र भी सम्मिलित है। निजी क्षेत्र में स्थापित जिन्दल औद्योगिक पार्क इसी श्रेणी के अन्तर्गत है।"

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से जिंदल पार्क को औद्योगिक क्षेत्र माना गया।

3. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/04/2019 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत मेसर्स एपिक एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड, 132डी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई वाद या प्रकरण दायर नहीं होना बताया गया है।

4. उद्योग में प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

5. स्थल ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में स्थित है एवं आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

6. (i) प्रस्तावित कार्यकलाप में उन्नत तकनीकी के उपयोग, स्थापित एवं प्रस्तावित उन्नत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होगी।

(ii) प्रस्तावित क्षमता विस्तार में उद्योग से शून्य जल निस्सारण व्यवस्था बनायी रखी जाना प्रस्तावित है।

(iii) जल उपभोग की मात्रा में 5,940 घनमीटर प्रतिवर्ष की वृद्धि होना प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में 14,866 घनमीटर प्रतिवर्ष रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना प्रस्तावित है।

(iv) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः क्षमता विस्तार से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

8. आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार के प्रकरणों के संबंध में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) दिनांक 23/11/2016 के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee **will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance**.

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–</u>

1. उपरोक्तानुसार उद्योग स्थल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण "बी2" श्रेणी के अंतर्गत माना गया। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है। अतः प्रकरण में उपरोक्त ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार क्षमता विस्तार हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–डी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा/तुमिडीह, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लॉट क्रमांक 132, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में एम.एस. इंगाट (इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 31,500 टन प्रतिवर्ष (5 टन गुणा 2 नग) से एम.एस. इंगाट/बिलेट (इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष (5 टन गुणा 4 नग) किये जाने हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 **गौण खनिजों एवं कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मुरारीलाल केदारमल डोलोमाईट माईन (हरदी डोलोमाईट माईन, प्रो. श्रीमती पारवती बाई अग्रवाल), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 137)

ऑफलाईन आवेदन – परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह डोलोमाईट खदान ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 41/1, कुल लीज क्षेत्र 6.056 हेक्टेयर (14.96 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,950 टन प्रतिवर्ष है।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति – एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 100, दिनांक 07/08/2012 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1117/खनि./ 2010 बिलासपुर, दिनांक 03/07/2010 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 4 खदानें क्षेत्रफल 13.314 हेक्टेयर है।
2. पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. **उत्खनन योजना** – पूर्व अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्खनन हेतु वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक का वर्षवार उत्खनन विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः अद्यतन अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 500 मीटर की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. लीज अवधि वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 100, दिनांक 07/08/2012 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त हो गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए कि परियोजना को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त हो गई है। अतः खदान का संचालन नहीं किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विधिवत् ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सचिव, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, ग्राम–कुंदरू, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 914)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38795/2019, दिनांक 08/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुंदरू, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 6, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

उत्खनन पांगन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,084 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर का दिनांक 24/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 246/खनिज/रेत/2019 बलरामपुर, दिनांक 27/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 15 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, नहर या नालों, मंदिर, मस्जिद, मरघट आदि सार्वजनिक स्थल नहीं है।
5. निकटतम आबादी ग्राम–कुंदरू 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.2 कि.मी. दूर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – लगभग 110 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 62 मीटर दर्शाई गई है।
8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 67,084 घनमीटर हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र में कुल लीज क्षेत्र 5.3 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। परंतु यह खदान कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु आवेदन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत मंदरौद, ग्राम–मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 916)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39053/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंदरौद, ग्राम पंचायत मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1711/1, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदरौद का दिनांक 08/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 366/खनि/न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. निकटतम आबादी ग्राम–गाड़ाडीह 0.85 कि.मी., स्कूल ग्राम–मंदरौद 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरुद 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 144 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत परसडीहा, ग्राम–जमई, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 918)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39067/2019, दिनांक 12/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमई, ग्राम पंचायत परसडीहा, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल लीज क्षेत्र 5.06 हेक्टेयर में है। उत्खनन मोरन नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–52,084 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसडीहा दिनांक 30/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 565/खनिज/रेत/2015, बलरामपुर दिनांक 15/12/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 3 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. निकटतम आबादी ग्राम–जमई 1.5 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल ग्राम–जमई 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.1 कि.मी. दूर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – लगभग 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 70 मीटर दर्शाई गई है।

9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 52,084 घनमीटर है।

10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5.06 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 5037 दिनांक 16/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।

11. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर नदी तट एवं ग्राम के अन्य उपलब्ध भूमि पर कुल 1,005 नग पौधे लगाए गए है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति घुंघुट्टा नदी से रेत उत्खनन हेतु दिया गया था। वर्तमान में उसी खसरा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र में मोरन नदी से रेत उत्खनन हेतु आवेदन किया गया है। स्थिति स्पष्ट की जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 919)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 39145/ 2019, दिनांक 12/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 23/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 76/1, 76/2, 77, 79, 80, 81, 87, 88, 250/1, 250/2, 493/6, 493/7, 493/8, 493/6, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 512/1, 512/2, 513, 514, 526/2, 526/3, 526/4, 526/7, 531/2, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 532, 533/5, 533/8, 541, 542, 543/1, 543/2, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 549/9, 549/10, 549/11, 549/12, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 553, 598/4, 599, 600, 602/1 एवं 602/2 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स (गोल्फ कोर्स) प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 5,61,723.6 वर्गमीटर (56.17 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओर.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 65 लाख होगा।
2. **विकास अनुज्ञा** – संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 5228, दिनांक 14/06/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है। तत्पश्चात संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 13474, दिनांक 22/11/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु संशोधित विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।
3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1.	Total Land Available	5,61,723.6
2.	Golf Course	3,78,539.8
3.	Golf Parking and Roads	31,160.2

4.	Admin Building and Club House	20,998.94
5.	Parking [Admin Building and Club]	3,221.97
6.	Residential Area	84,139.8
7.	OSR	13,008.15
8.	Residential and Commercial Roads	2,5091.4
9.	Commercial	5,563
10.	**Total construction area**	**5,61,723.6**

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विकास अनुज्ञा में वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2019 द्वारा सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत चिनौरी, ग्राम–चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 774)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 94962/2019, दिनांक 03/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/03/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/04/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चिनौरी, ग्राम पंचायत चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 917, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में द्वारा रेत खदान खसरा क्रमांक 917, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4258 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी ऑकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज / अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 05 / 2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11 / 06 / 2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता मण्डावी, सरपंच एवं श्री कतले सिंह शोरी, सचिव, ग्राम पंचायत चिनौरी एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। एकत्रित किए गए आंकडे सही नहीं है। अतः वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) की प्रस्तुत जानकारी को मान्य नहीं किया जा सकता है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17 / 03 / 2016 द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30 / 05 / 2018 से दिनांक 29 / 07 / 2018 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17 / 03 / 2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.),

छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 6 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 4 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भरत लाल बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सरपंच एवं सचिव प्रस्तुतीकरण हेतु अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानसून में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाए। साथ ही आगामी बैठक में उक्त वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जायें।

4. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल/वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. **विषयः– सरपंच, ग्राम पंचायत सुनसुनिया (सेमरिया रेत खदान 'बी'), ग्राम–सेमरिया, तहसील व जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 833) के प्रकरण में लिए गए निर्णय में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित खसरा क्रमांक में सुधार हेतु।**

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–सेमरिया, ग्राम पंचायत सुनसुनिया (सेमरिया रेत खदान 'बी'), तहसील व जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 658/1/क, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।
2. प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34866/2019, दिनांक 17/04/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था।

आवेदित प्रकरण पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 तत्पश्चात् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 87वीं बैठक दिनांक 28/08/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 87वीं बैठक दिनांक 28/08/2019 में लिये निर्णय में प्रकरण का खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 658/1/क के स्थान पर लिपकीय त्रुटिवश खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 801 का उल्लेख हो गया है। ग्राम–सेमरिया, ग्राम पंचायत सुनसुनिया (सेमरिया रेत खदान 'बी'), तहसील व जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय उक्त त्रुटि प्रकाश में आई। इस त्रुटि का निवारण किया जाना है।

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

(एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 87वीं बैठक दिनांक 28/08/2019 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि प्रकरण में उल्लेखित खदान की भूमि के खसरा का विवरण आवेदन एवं स्वीकृत परिशिष्ट–3 में सही है, केवल निर्णय में लिपकीय त्रुटिवश खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 658/1/क के स्थान पर खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 801 का उल्लेख हुआ है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से प्रकरण में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 में लिए निर्णय एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 87वीं बैठक दिनांक 28/08/2019 में लिए निर्णय में रेत खदान का खसरा पार्ट ऑफ 801 के स्थान पर खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 658/1/क** संशोधित किए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(मोसकर विलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING M.S. BILLETS/ INGOTS (THROUGH 5 MT X 2 Nos. INDUCTION FURNACES) OF CAPACITY- 31,500 TONNES / YEAR TO M.S. BILLETS/ INGOTS (THROUGH 5 MT X 4 Nos. INDUCTION FURNACES WITH CCM) OF CAPACITY- 57,321 TONNES / YEAR OF M/S EPIC ALLOY STEEL PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March, 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source (Existing as well as Expansion) shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. The project proponent shall not utilize any solid / liquid / gases fuel such as coal, furnace oil, diesel, producer gas etc. in any form as a fuel.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. Mill scales shall be sold to Palletization plant / Ferro alloys units. Oily sludge and tar shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 35% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 505	1%	Rs. 5.0	Rain Water Harvesting Structure, Solar Lighting System, Running Water facility for Toilets, Potable Drinking Water, Plantation work, Environment Awareness Display boards at Government Primary School Dhobidih	Rs. 5.0
			Total	**Rs. 5.00**

ii. The project proponent shall submit detailed CER proposal incorporating proposed workwise estimates within one week.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by

prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**